# न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील नामा0संख्या 08/19 सन् 2019

आरसीएमएस संख्या 2019/00014

बउनवानी:–

1. कैलाशी पुत्री रामपाल पत्नि बदरी लाल जाति गुर्जर निवासी फलौदी तह0 व जिला सवाईमाधोपुर हाल निवासी बाढपुर तहसील खण्डार जिला सवाईमाधोपुर
2. काली पुत्री रामपाल पत्नि सीताराम जाति गुर्जर निवासी फलौदी तह0 व जिला सवाईमाधोपुर हाल निवासी आछेर, तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाईमाधोपुर

बनाम

1. विजय सिंह पुत्र बदरी लाल जाति गुर्जर निवासी बेजपुर तहसील पीपलदा जिला कोटा हाल निवासी खेरदा तहसील व जिला सवाईमाधोपुर
2. सरकार जरिये लेण्ड होल्डर तहसीलदार सवाईमाधोपुर

(अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा दर्ज फैसल नामा0 संख्या 896 निर्णय दिनांक 31.5.2018 वाके ग्राम फलोदी तहसील सवाईमाधोपुर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 )

उपस्थितः– 1. श्री जगन्नाथ प्रसाद चौधरी — वकील अपीलान्ट

2. श्री तपेश जैन — वकील रेस्पो.–1

–: निर्णय :– दिनांक 28.8.2019

अपील अपीलान्ट ने तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा दर्ज फैसल,नामा0 संख्या 896 निर्णय दिनांक 31.5.2018 वाके ग्राम फलौदी तहसील सवाईमाधोपुर के विरूद्ध इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध है जिसको खारिज फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा मे दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. की तलबी जरिये नोटिस की गयी एवं अदालत मातहत से सम्बन्धित मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया।

तत्पश्चात बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी।

वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्व होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। यह तर्क भी दिया कि आराजी ख0न0 2791 रकबा 1.49 बारानी 2 व ख0न0 2960 रकबा 0.64 बारानी 2 कुल किता 2 कुल रकबा 2.13 है0 वाके ग्राम फलोदी तहसील सवाईमाधोपुर में स्थित है। इनके पुराने नम्बर 2791 के 174,175/2,186/3, व 2960 के 174,175/2,186/2 बनें है। उपरोक्त ख.न. का खातेदार गोपी पुत्र बालू गुर्जर निवासी फलोदी था जिसके एक पुत्र रामपाल व पत्नि गोविन्दी थी। रामपाल गोपी के जीवनकाल में ही फोत हो गया था रामपाल के दो पुत्रीया कैलाशी व काली थी जब गोपी का देहान्त हुआ तब कैलाशी की उम्र 25 वर्ष व काली की उम्र 22 वर्ष थी। गोपी के मरने के बाद उसकी विरासत का नामा0 ग्राम पंचायत फलोदी द्वारा उसकी पत्नि गोविन्दी के नाम खोल दिया जबकि नामा0 गोविन्दी, कैलाशी व काली के नाम भरना चाहिए था तथा गोविन्दी के मरने के बाद उक्त नामा0 कैलाशी व काली के नाम खुलना चाहिए था जो तहसीलदार द्वारा किस्तूरा पुत्र रामचन्द्र निवासी खानपुर के नाम खोल दिया गया। उक्त दोनो ही नामा0 खारिज हो चुके है जब दिनांक 12.7.2017 को गोविन्दी का नामा0 ही खारिज हो गया तो स्वतः ही किस्तुरा का नामा0 खारिज हो गया तथा जब कस्तूरा का ही नामा0 खारिज हो गया तो किस्तूरा द्वारा विजय सिंह को किया गया बैचान बिल्कुल अवैध है तथा विजय सिंह का नामा0 स्वतः ही खारिज हो गया है। किस्तूरा के नाम जब श्रीमान के न्यायालय में अपील जैरकार थी उस वक्त उपरोक्त ख0न0 बाबत दिनांक 13.3.2018 को श्रीमान के न्यायालय द्वारा ख0न0 2791 रकबा 1.49 है0 व ख0न0 2960 रकबा 0.64 है0 वाके ग्राम फलोदी तहसील स0मा0 को रहन

डॉ0 एस0 पी0 सिंह
जिला कलक्टर
सवाई माधोपुर

व्यय नही करने व मौके एवं रिकार्ड की स्थिति यथावत रखे जाने बाबत स्थगन जारी किया गया था। स्थगन की प्रमाणित प्रति तहसील कार्यालय मे दिनांक 14.3.2018 को दे दी थी। किन्तु पटवारी हल्का ने जान बूझकर इस स्थगन का अंकन जमाबंदी मे नही किया एवं स्थगन के बावजूद दिनांक 31.5.2018 को रेस्पो. से साज करके पटवारी हल्का व तहसीलदार ने नामा0 तस्दीक कर जमाबन्दी में नोट लगाकर समस्त राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन कर दिया गया है। चूंकि नामा0 श्रीमान के न्यायालय के स्थगन आदेश प्रभावी रहते हुए भरा गया है इस कारण उक्त नामा0 प्रारम्भतः नल एवं वोइड है तथा ऐसे नामा0 को निरस्त करवाने की कोई मियाद नही होती है। उक्त नामा0 स्थगन आदेश के बावजूद स्थगन की जानकारी हल्का पटवारी व तहसीलदार को होते हुए भी बिना जॉच किये भरा जाने के कारण भी निरस्त किये जाने योग्य है। चूंकि उक्त प्रकरण श्रीमान के न्यायालय मे विचाराधीन था इस कारण नामा0 की अपील नही की दिनांक 31.5.2018 के नामा0 की नकल हेतु दिनांक 18.1.2019 को प्रार्थना पत्र पेश करने व दिनांक 23.2.2019 को नकल प्राप्त होने पर अपील अन्दर मयाद मय दफा 5 के प्रार्थना पत्र के प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने हेतु वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया।

विद्वान वकील रेस्पो0 द्वारा दौराने बहस कथन किया कि तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधिसम्मत है जिसमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही है। क्योकि रेस्पो. विजय सिंह द्वारा जरियें रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 25.1.2018 जिसके द्वारा किस्तरा की खातेदारी भूमि को जरिये मुख्यतारआम रामपाल पुत्र गंगाधर गुर्जर के क्रय की गयी है जिसके आधार पर ही आदेश जैर अपील नामा संख्या 896 रेस्पो0 विजय सिंह के नाम तस्दीक किया गया है। जहॉ तक स्थगन आदेश का प्रश्न है तो उक्त आदेश तहसील मे किस कर्मचारी को दिया गया है प्राप्ति रसीद पर स्पष्ट नही है स्थगन आदेश की संबंधित पटवारी व आई.एल.आर अथवा तहसीलदार की प्रोपर तामील नही करवाने के कारण उक्त स्थगन की जानकारी अधीनस्थ न्यायालय व पटवारी को नही थी। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील यथावत रखते हुए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत वकील रेस्पो. द्वारा निवेदन किया गया।

विद्वान वकील उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्को को सुनने के पश्चात एवं सम्बन्धित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुॅचता हूॅ कि आदेश जैर अपील नामा0 संख्या 896 दिनांक 31.5.2018 तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा इस न्यायाल द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 13.3.2018 के प्रभावी रहते हुए तस्दीक किया गया है। वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार उक्त स्थगन आदेश तहसील कार्यालय में दिनांक 14.3.2018 को प्राप्त हो चुका था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश जैर अपील पारित करते समय स्थगन के संबंध में जॉच नही करते हुए दौराने न्यायिक प्रकिया तस्दीक किया गया है। यद्यपि उक्त नामा0 रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर तस्दीक किया गया है किन्तु दौराने स्थगन तस्दीक किया गया है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधिसम्मत नही है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील खारिज किया जाता है। एवं प्रकरण तहसीलदार सवाईमाधोपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता है कि आदेश जैर अपील में वर्णित विवादित भूमि पर वर्तमान में स्थगन आदेश इत्यादि की जानकारी करते हुए पक्षकारान को सुनवायी का अवसर दिया जाकर उनके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेज को रिकार्ड पर लिया जाकर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 28.8.2019 को लिखवाया जाकर सुनाया गया ।

(डॉ0एस0पी0सिंह)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Satya Pal Singh
Date: 2019.11.28 17:19:37 IST
Reason: SelfAttested
Location: